राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

परिपत्र

ई–ग्रास के तहत ऑनलाइन जमा हुए राजकीय राजस्व के रिफण्ड की प्रक्रिया –

राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन राजस्व संग्रहण हेतु परिपत्र दिनांक 01.11.2012 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए जिसमें इस पद्धति से जमा राजस्व के रिफण्ड की प्रक्रिया का भी उल्लेख अंकित किया गया है। रिफण्ड प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निम्न कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की जाती है :–

1. ऑनलाइन जमा हुए राजकीय राजस्व के रिफण्ड हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–III के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी स्तर से स्वीकृति जारी की जायेगी। स्वीकृति जारी कराये जाने से पूर्व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 255 के प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जायेगी।
2. रिफण्ड हेतु जारी सक्षम स्वीकृति के आधार पर संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा राशि का रिफण्ड किया जायेगा।
3. राशि रिफण्ड से पूर्व संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा ई–ग्रास साइट पर जाकर बिल के साथ संलग्न चालान पर अंकित जी.आर.एन. के आधार पर राशि जमा होने की पुष्टि/सन्तुष्टि की जायेगी।
4. राशि जमा होने की पुष्टि के पश्चात कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा रिफण्ड बिल पारित किया जायेगा।
5. ऑनलाइन जमा हुए राजकीय राजस्व के रिफण्ड का लेखा हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा, जिसमें राशि जमा होने का पूर्ण विवरण (जी.आर.एन. नं. दिनांक, जमाकर्ता का नाम एवं पता, चालान नं. कुल जमा हुई राशि आदि) अंकित किया जायेगा तथा उसके आगे राशि रिफण्ड की जारी स्वीकृति क्रमांक एवं

दिनांक तथा राशि का उल्लेख किया जायेगा तथा कोषाधिकारी/अतिरिक्त कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें।

6. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा जमा राशि की पुष्टि/सन्तुष्टि किए जाने के पश्चात डिफेस विकल्प के माध्यम से रिफण्ड की जाने वाली राशि को डिफेस किया जायेगा ताकि उक्त राशि के पुनः रिफण्ड की संभावना न हो। इस हेतु ई-ग्रास साइट पर कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के लॉगिन पर यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है।
7. ऑनलाइन जमा हुए राजस्व रिफण्ड का लेखा संबंधित कोषालय/उपकोषालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

F.5(Th-75) DTA/IFMS/eGRAS/17907-18156 दिनांक: 10.09.2013

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
3. समस्त, विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग
7. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
8. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
9. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

संयुक्त शासन सचिव